



UPCD010008082026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश, चन्दौली**  
उपस्थित: दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी (एच.जे.एस.)

**J.O.Code.U.P.5730**

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या— 392/2026

शिवशंकर भगत पुत्र शतन भगत निवासी जादूपुर जिला गोपालगंज बिहार  
—अभियुक्त

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य

—विपक्षी

अपराध संख्या 61/2026

धारा—8/20/60 एन.डी.पी.एस.ऐक्ट

थाना— चन्दौली जिला—चन्दौली।

17-03-2026

अभियुक्त शिवशंकर भगत उपरोक्त की ओर से थाना चन्दौली जिला चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 61/2026 धारा 8/20/60 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट के तहत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त शिवशंकर भगत उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र उपरोक्त व पैरवीकार विवेक कुमार पुत्र स्व० जतन प्रसाद के शपथपत्र से यह स्पष्ट है कि यह अभियुक्त उपरोक्त का प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। इसके अलावा कोई भी जमानत प्रार्थनापत्र माननीय जनपद न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में न तो दाखिल है और न ही विचाराधीन है।

अभियोजन पक्ष का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 19-02-2026 को थाना स्थानीय के बहवाले रपट नम्बर 03 पर वादी उपनिरीक्षक रावेन्द्र सिंह खाना होकर मय हमराह का० प्रियेश यादव के देखभाल रात्रि गस्त व अन्य राजकीय कार्य सरकार में मामूर होकर लीलापुर रेलवे फाटक के पास मौजूद थे कि जरिए मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि एक काले रंग की टैक्सी जिसका नम्बर यूपी 50 सीटी 7347 है जो इस समय मझवार रेलवे स्टेशन के सामने है जो संदिग्ध लग रही है इसको रोककर चेक कर लिया जाय इसमें शराब होने की सम्भावना है। इस सूचना पर वादी उपनिरीक्षक तत्काल श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय को अवगत कराते हुए तत्काल थाना चन्दौली की प्रथम मोबाइल को मौके पर तलब किया गया तथा वादी उपनिरीक्षक मय हमराह के लीलापुर ओवरब्रिज के ऊपर पहुंचकर उपरोक्त मुखबिर खास द्वारा बताये गये टैक्सी का इन्तजार करने लगे कि तब तक उपरोक्त टैक्सी मौके पर आ गयी जिसे हिकमत अमली से रोकवा लिया गया। टैक्सी चालक से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शशी कुमार गुप्ता पुत्र विनोद प्रसाद गुप्ता निवासी जादूपुर थाना जादूपुर जिला गोपालगंज बिहार बताया तथा चालक के बगल वाली सीट पर बैठे हुए व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम शिवशंकर भगत पुत्र शतन भगत निवासी जादूपुर थाना जादूपुर जिला गोपालगंज बताया कि तब तक थाना चन्दौली की प्रथम मोबाइल यूपी 67 जी 0404 उपनिरीक्षक मु० असलम मय चालक संजीत शाह के उपस्थित आ गये। वाहन को विधवत चेक किया गया तो वाहन प्रथम दृष्टया खाली पाया गया। चालक व खलासी से कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बताए कि उपरोक्त टैक्सी के छत पर पार्टीसन कर गांजा रखा गया जिसे वे लोग रामपुर उड़ीसा से ला रहे हैं जिसे गोपालगंज बजरी मोड बिहार ले जाएंगे जहाँ इसे खुला बेचकर अच्छा मुनाफा कमाएंगे कि गाड़ी में गांजा की सूचना पर तत्काल श्रीमान

क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार को अवगत कराते हुए तथा नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु बताया गया कि क्षेत्राधिकारी सदर देवेन्द्र कुमार कुछ ही समय पश्चात मौके पर आ गये जिनके समक्ष गाड़ी के ऊपर लगे पर्दे को हटाकर चेक किया गया तो ऊपर की छत में दो भाग में पार्टीशन कर भुरा रंग के टेप से लपेटकर कुल 22 पैकेटों में गांजे की पैकिंग की गई है जिसमें से दस पैकेट छोटे व 12 बड़ी पैकेट है कि मौके पर कां० प्रियेश को नवीन मण्डी भेजकर इलेक्ट्रानिक कांटा मंगवा कर मौके पर तौल कराया गया तो दस छोटी पैकेट एक-एक किलो कि व 12 बड़ी पैकेट दो-दो किलो की करीब पायी गई कुल मात्र 32,300 किलोग्राम पकड़े गये। दोनो व्यक्तियों की जामा तलाशी बारी बारी लेते हुए अधिकारपत्र तलब किया गया तो चालक शशी कुमार उपरोक्त के पहने हुए जिंस के दाहिने जेब से एक अदद स्क्रीन टच मोबाइल तथा चालक के बगल वाले व्यक्ति शिवशंकर भगत उपरोक्त के पहने हुए पैण्ट के दाहिने जेब से एक अदद मोबाइल पाया गया। परिवहन के सम्बन्ध में प्रपत्र मांगा गया तो दिखाने से कासिर रहे। टैक्सी में लगे नम्बर अपने मोबाइल के ई चालान ऐप में डालकर चेक किया गया तो वाहन नम्बर यूपी 50 सीटी 7347 वाहन स्वामी विट्ठू कुशवाहा पुत्र गनेश कुशवाहा निवासी आजमगढ़ थाना सदर पाया गया।

अभियुक्त शिवशंकर भगत उपरोक्त का अपने उक्त प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र में यह कहना है कि वह दिनांक 19-02-2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उसके ऊपर पूर्व का दोषसिद्धि का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। उसको जिस घटनास्थल से गिरफ्तार होना बताया जाता है वह स्थान हर समय व्यस्त रहता है फिर भी किसी को स्वतन्त्र जनसाक्षी नहीं बनाया गया है। उसके पास से किसी भी प्रकार का नशीला पदार्थ गांजा बरामद नहीं किया गया है। उसके पास से नाजायज गांजा 32.300 किलोग्राम गांजा बरामद नहीं हुआ है। वह मझवार स्टेशन के पास काशी धाम जाने के लिए वाहन का इन्तजार कर रहा था तभी उसी आटो में से एक पुलिस वाला उतरा। ड्राइवर ने पुलिस वाले से पैसा मांगा तब पुलिस वाले ने कहा कि हम पैसा नहीं देते तभी उसने कहा कि आप पुलिस वाले होकर पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे है, आपको आटो का किराया देना चाहिए। इसी बात पर पुलिस वाला चिढ़ गया और दो चार पुलिस वालों को बुलाकर उसको मारा पीटा। उसने भी अपने बचाव में हाथापाई किया। इसी बात को लेकर पुलिस वाले नाराज हो गये और मारते हुए चन्दौली थाने में बन्द कर दिए और झूठे गांजे के मुकदमें में मुल्जिम बना दिया। वाहन संख्या यूपी 50 सीटी 7347 उसका नहीं है और न ही उक्त वाहन में वह बैठा था। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाय।

अभियुक्त शिवशंकर भगत के उक्त प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त को प्रश्नगत वाहन से भारी मात्रा में नाजायज गांजा ले जाते समय पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। अपराध अत्यन्त ही गम्भीर प्रकृति का है, अतः अभियुक्त उपरोक्त का जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाय।

मैने अभियुक्त उपरोक्त के जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता व विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस सुना व थाने की आख्या दिनांकित 12-03-2026 व केस डायरी का विस्तारपूर्वक अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रावेन्द्र सिंह व फर्द के गवाह असलम खॉ पुत्र मोहम्मद मुख्तार ने अभियोजन कथानक के समर्थन में विवेचक को बयान दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व केस डायरी में विवेचक द्वारा संकलित साक्ष्यों के अनुसार प्रश्नगत घटना के समय अभियुक्तगण शिवशंकर भगत व शशी कुमार गुप्ता द्वारा वाहन संख्या यूपी 50 सीटी 7347 पर कुल लगभग 32 किलोग्राम 300 ग्राम अवैध गांजे का परिवहन किया जाना अभिकथित है जो गांजे की व्यापारिक मात्रा बीस किलोग्राम से काफी अधिक है। प्रश्नगत घटना के

समय अभियुक्त शशी कुमार गुप्ता का वाहन संख्या यूपी 50 सीटी 7347 का चालक व अभियुक्त शिवशंकर भगत का वाहन संख्या यूपी 50 सीटी 7347 के चालक शशी कुमार गुप्ता के बगल वाली सीट पर बैठा होना बताया गया है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त उपरोक्त के जमानत के पर्याप्त आधार नहीं है। अतः अभियुक्त उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शिवशंकर भगत उपरोक्त की ओर से थाना चन्दौली जिला चन्दौली के मुकदमा अपराध संख्या 61/2026 धारा 8/20/ 60 एन.डी.पी.एस. ऐक्ट के तहत प्रस्तुत यह प्रथम नियमित जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है।

दिनांक:—17—03—2026.

स्टेनो- संजीत सिंह।

(दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी)

सत्र न्यायाधीश,

चन्दौली।